

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

05 जनवरी 2024
माघ 16, शक संवत् 1945

प्रेस विज्ञप्ति

वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (उ. वा. स.) परिणाम

(उ. वा. स. 2020-21 के लिए संदर्भ अवधि: अप्रैल 2020 से मार्च 2021, सर्वेक्षण अवधि: अप्रैल 2022 से नवंबर 2022

और

उ. वा. स. 2021-22 के लिए संदर्भ अवधि: अप्रैल 2021 से मार्च 2022, सर्वेक्षण अवधि: मार्च 2023 से सितंबर 2023)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इस प्रेस विज्ञप्ति में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 (अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21), जिसे उ. वा. स 2020-21 कहा जा रहा है और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 (अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22) जिसे उ. वा. स 2021-22 कहा जा रहा है, की संदर्भ अवधि के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (उ. वा. स) के परिणाम जारी कर रहा है। इस सर्वेक्षण हेतु फील्ड वर्क उ. वा. स 2020-21 के लिए अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 और उ. वा. स 2021-22 के लिए मार्च, 2023 से सितंबर, 2023 के दौरान किया गया था। सर्वेक्षण के लिए उ. वा. स 2020-21 की संदर्भ अवधि का एक बड़ा हिस्सा कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ था, जिसने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी लॉकडाउन और बड़े विघ्न देखे। उ. वा. स 2021-22 की संदर्भ अवधि के एक बड़े भाग के दौरान महामारी की दूसरी लहर देखी गई। उ. वा. स 2020-21 का फील्ड वर्क देर से शुरू हुआ क्योंकि 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनियों के लिए फाइलिंग की तारीखें बढ़ा दी गई थीं। इसका असर अगले सर्वेक्षण अर्थात उ. वा. स 2021-22 के फील्ड वर्क पर पड़ा, जिसमें विलंब भी हुआ। कवरेज, प्रतिदर्श नीति, डेटा संग्रहण तंत्र आदि के संदर्भ में सर्वेक्षण के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी एंडनोट में दी गई है।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण आउटपुट, मूल्य वर्धन, रोजगार, पूंजी निर्माण और कई अन्य मापदंडों के संदर्भ में विभिन्न विनिर्माण उद्योगों की संरचना, विकास और विन्यास में परिवर्तन की गतिशीलता में सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से किया जाता है। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को मूल्यवान इनपुट प्रदान करता है। ये परिणाम राज्य और प्रमुख उद्योग स्तर पर तैयार किए जाते हैं। उ.वा.स. 2020-21 और उ.वा.स. 2021-22 के परिणाम राइट-अप सहित मंत्रालय की वेबसाइट (<https://www.mospi.gov.in>) पर उपलब्ध हैं।

उ.वा.स. 2020-21 और उ.वा.स. 2021-22 परिणाम के मुख्य अंश

- वर्ष 2021-22 के उ.वा.स. परिणाम भारतीय विनिर्माण क्षेत्र द्वारा दिखाया गया लचीलापन दर्शाते हैं और आउटपुट और इनपुट संकुचन के संदर्भ में 2020-21 में देखे गए महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के पश्चात रोजगार में मामूली गिरावट के साथ-साथ भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के अनूठे बदलाव की कहानी बताते हैं।

- यह परिणाम यह दर्शाते हैं कि जबकि वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की तुलना में सकल वर्धित मूल्य (GVA)¹ वर्तमान कीमतों में 8.8% बढ़ी है, जो कि मुख्य रूप से इनपुट में तेज गिरावट (4.1%), जो की कोविड द्वारा प्रभावित वर्ष के दौरान सेक्टर में आउटपुट के संक्षेपण (1.9%) की अधिक भरपाई के कारण हुआ है; औद्योगिक आउटपुट में उच्च वृद्धि के कारण वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में GVA 26.6% बढ़ गया है, जो इस अवधि के दौरान वर्तमान कीमतों में मूल्य के संदर्भ में 35% से अधिक बढ़ गया है।

- वर्ष 2021-22 में सेक्टर द्वारा पंजीकृत निवेशित पूंजी, इनपुट, आउटपुट, सकल वर्धित मूल्य (GVA), निवल आय और निवल लाभ जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंडों के स्तर के साथ-साथ विकास में भी तेज वृद्धि देखी गई और इसने पूर्ण मूल्य के संदर्भ में महामारी-पूर्व स्तर को भी पार कर लिया है।

- वर्ष 2021-22 में इस वृद्धि के मुख्य चालक मूल धातु, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्युटिकल उत्पाद, मोटर वाहन, खाद्य उत्पाद और रासायनिक एवं रसायन उत्पादों के विनिर्माण जैसे उद्योग थे। इन उद्योगों ने, कुल मिलाकर, सेक्टर के कुल GVA में लगभग 56% का योगदान दिया और वर्ष 2020-21 की तुलना में 34.4% की GVA वृद्धि और 37.5% की उत्पादन वृद्धि दर्शाई है।

- कोविड महामारी के कारण, वर्ष 2020-21 में रोजगार में मामूली गिरावट आई थी, जिसकी भरपाई अगले वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 में इस सेक्टर में कुल अनुमानित रोजगार में साल-दर-साल (Y-o-Y) 7.0% की मजबूत वृद्धि दर्शाते हुए हो गई थी। वर्ष 2021-22 में इस सेक्टर में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या महामारी-पूर्व स्तर (अर्थात वर्ष 2018-19) से 9.35 लाख अधिक हो गई है। साथ ही, औसत परिलब्धियों में भी वृद्धि दर्ज की गई जिसमें इस सेक्टर में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अर्जित औसत वेतन पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2020-21 में 1.7% और वर्ष 2021-22 में 8.3% की बढ़ोतरी हुई है।

- GVA के संदर्भ में, प्रमुख राज्यों में, गुजरात वर्ष 2020-21 में शीर्ष पर और वर्ष 2021-22 में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र वर्ष 2021-22 में पहले और वर्ष 2020-21 में दूसरे स्थान पर रहा। इन दोनों वर्षों में इन दोनों राज्यों के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। पांच शीर्ष राज्यों ने मिलकर वर्ष 2020-21 के साथ-साथ वर्ष 2021-22 में देश के कुल विनिर्माण GVA में लगभग 53% का योगदान दिया है।

- उ. वा. स 2020-21 और साथ ही उ. वा. स 2021-22 में इस सेक्टर में अधिकतम व्यक्ति नियोजित करने वाले प्रमुख पांच राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व हरियाणा हैं। इन पांच शीर्ष राज्यों ने मिलकर इन दोनों वर्षों में देश के कुल विनिर्माण नियोजन में लगभग 54% का योगदान दिया है।

¹ सकल वर्धित मूल्य की संगणना सकल आउटपुट मूल्य से अंतर्वर्ती उपभोग (इनपुट) को घटाने के माध्यम से की जाती है।

वर्तमान कीमतों में उ. वा. स 2017-18 से उ. वा. स 2021-22 तक कुछ प्रमुख मापदंडों का मूल्य सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: वर्तमान कीमतों में उ. वा. स 2017-18 से उ. वा. स 2021-22 तक कुछ प्रमुख मापदंडों का मूल्य

(मूल्य के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अचल पूंजी	328,588,927	346,606,975	364,135,165	369,438,562	372,635,444
निवेशित पूंजी	446,094,480	477,726,474	497,362,352	519,114,310	554,493,175
कुल नियोजित व्यक्ति (सं)	15,614,619	16,280,211	16,624,291	16,089,700	17,215,350
कुल परिलब्धियाँ	41,835,716	46,207,983	49,172,897	48,389,031	56,082,801
इनपुट	660,520,215	774,377,980	749,755,617	719,206,541	987,917,996
आउटपुट	807,217,258	928,179,908	898,330,129	880,921,387	1,192,715,147
सकल वर्धित मूल्य (GVA)	146,697,043	153,801,928	148,574,512	161,714,846	204,797,151
अवमूल्यन	23,729,624	26,155,291	27,309,742	28,135,986	29,964,685
निवल वर्धित मूल्य (NVA)	122,967,418	127,646,637	121,264,771	133,578,860	174,832,466

एंडनोट: उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (उ. वा. स) में दायरा, प्रतिदर्श नीति और डाटा संग्रहण तंत्र के संबंध में एक सक्षिप्त जानकारी

क. उ. वा. स का दायरा:

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण में मुख्य तौर पर निम्नलिखित शामिल है

- (i) फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (i) और 2 एम (ii) के अधीन पंजीकृत कारखानों
- (ii) बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तों) अधिनियम, 1966 के अधीन पंजीकृत बीड़ी और सिगार विनिर्माण प्रतिष्ठान
- (iii) विद्युत उत्पादन, संचारण, तथा वितरण में संलग्न विद्युत उपक्रम, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के साथ पंजीकृत नहीं हैं
- (iv) राज्य सरकारों द्वारा तैयार और अनुरक्षित प्रतिष्ठानों का व्यवसाय रजिस्टर (BRE) में पंजीकृत 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयाँ, जब भी ऐसी सूचियाँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाती हैं।

ख. प्रतिदर्श नीति एवं प्रतिदर्श आकार:

उ.वा.स. में अपनाई गई प्रतिदर्श नीति गणना और प्रतिदर्शीकरण का मिश्रण है। कुछ इकाइयाँ गणना/संपूर्ण परिगणना क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और उनका प्रतिवर्ष किसी पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है। शेष इकाइयों (जिन्हें प्रतिदर्श सेक्टर कहा जाता है) से, इकाइयों का चयन एक स्ट्राटिफाइड सर्कुलर सिस्टैमेटिक प्रतिदर्श नीति जिसमें राज्य X ज़िला X सेक्टर X NIC 3-अंकीय को स्ट्रटा माना जाता है, को अपनाते हुए किया जाता है, उ.वा.स. 2020-21 के लिए कुल प्रतिदर्श आकार 79,589 और उ.वा.स 2021-22 के लिए 80,764 था। अधिक जानकारी हेतु कृपया मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.mospi.gov.in> देखें।

ग. डेटा संग्रहण तंत्र:

उ.वा.स. हेतु डेटा का चयन सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 यथा-संशोधित 2017 तथा इसके अंतर्गत 2011 में बनाए गए नियमों के अधीन चयनित कारखानों से किया जाता है। संपूर्ण सर्वेक्षण बिना किसी कागजी अनुसूची के एक समर्पित वेब-पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाता है। उ.वा.स. में डेटा संग्रहण हेतु, एक प्रतिष्ठान (जो उद्यम न हो) दृष्टिकोण का पालन किया जाता है जिसमें चयनित प्रतिष्ठानों से डेटा एकत्र किया जाता है।

घ. सर्वेक्षण अस्वीकरण:

इस सर्वेक्षण के माध्यम से चयन किए गए डेटा पर विभिन्न गुणवत्ता जांच की जाती है जो मुख्य रूप से रिकॉर्ड-आधारित होती है। समग्र स्तर पर सर्वेक्षण से प्राक्कलित महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए रिलेटिव स्टैंडर्ड्स एरर्स (RSE) (जो किसी अनुमान की विश्वसनीयता का व्यापक रूप से स्वीकृत सांख्यिकीय माप है) छोटी और स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं। तथापि, चूंकि इस परिणाम में प्रस्तुत डेटा प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राक्कलित है, इसलिए इस डेटा का उपयोग करते समय आवश्यक सावधानी बरती जा सकती है (विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.mospi.gov.in> देखें)।